

२३/२/२६

फत्रावली पेश हुई अभिभाषक प्राचीणिण
उपस्थित नहीं आपे। प्राचीणिण तथा
उन्के अभिभाषक को बार-बार आवाने
लगवापे जाने के बावजूद उपस्थित
न्यायालय नहीं आपे हैं ऐसे में प्राचीणि
पत्र प्राचीणिण अदम टाजरी अदम पैरवी
में खास्य किया जाता हैं फत्रावली फ़ाइल
में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवावे।

जिला कलेक्टर; बुन्देलखण्ड